



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-24072023-247577
CG-MH-E-24072023-247577

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 517]
No. 517]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 24, 2023/श्रावण 2, 1945
NEW DELHI, MONDAY, JULY 24, 2023/SHRAVANA 2, 1945

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 24 जुलाई 2023

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/140.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल) विनियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल) विनियम, 1992 में,
 - विनियम 10क में,
 - पहले परंतुक में, शब्दों तथा चिह्न “संबंधित समाशोधन निगम द्वारा अनुमोदन प्रदान किये जाने के अध्यक्षीन।” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “बशर्ते कि इसके लिए संबंधित समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कारपोरेशन) द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी जाए:” आ जाएँगे;

(ख) पहले परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्, -

"परंतु यह और कि कारपोरेट बॉण्डों में अपने ट्रेड (प्रोप्राइटरी ट्रेड) करने के लिए ट्राई-पार्टी रेपो सेगमेंट में लेनदेन (पार्टिसिपेंट) करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति के लिए तब अलग से कोई और रजिस्ट्रीकरण लेना जरूरी नहीं होगा, जब वह 'सीमित प्रयोजन वाले समाशोधन निगम' (लिमिटेड पर्पस क्लीयरिंग कारपोरेशन) के यहाँ सहभागी (पार्टिसिपेंट) के तौर पर रजिस्टर हो।"

(ग) मौजूदा स्पष्टीकरण अब स्पष्टीकरण-1 बन जाएगा।

(घ) स्पष्टीकरण-1 के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात्, -

"स्पष्टीकरण-2.- इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, "सहभागी (पार्टिसिपेंट)" का अर्थ है - ऐसा कोई व्यक्ति, जो पुनर्खरीद लेनदेन (रेपो) (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 के अनुसार एक पात्र एंटिटी हो।"

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./299/2023-24]

पाद टिप्पण:

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992, का.आ. सं. 780 (अ), 23 अक्तूबर, 1992 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992 तत्पश्चात् :
 - क) 28 नवम्बर 1995 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 1995, का.आ. सं. 939(अ), द्वारा
 - ख) 5 जनवरी 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं. 13(अ), द्वारा
 - ग) 21 जनवरी 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं. 75(अ), द्वारा
 - घ) 16 दिसम्बर 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (तीसरा संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं. 1078(अ), द्वारा
 - ङ) 6 जुलाई 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. सं. 541(अ), द्वारा
 - च) 14 मार्च 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 234(अ), द्वारा
 - छ) 28 मार्च 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 278 (अ), द्वारा
 - ज) 30 अगस्त 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 787 (अ), द्वारा
 - झ) 29 मई 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 476(अ), द्वारा
 - ञ) 15 नवम्बर 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 1128(अ), द्वारा
 - ट) 20 फरवरी 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 220(अ), द्वारा

- ठ) 27 सितम्बर 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, का.आ. सं. 1045(अ), द्वारा
- ड) 23 सितम्बर 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2003, का.आ. सं. 1095(अ), द्वारा
- ढ) 20 नवम्बर 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2003, फा.सं. भाप्रविबो/विधि/20795/2003, द्वारा
- ण) 10 मार्च 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. सं. 398(अ), द्वारा
- त) 1 अगस्त 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 1235(अ), द्वारा
- थ) 7 सितम्बर 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 1447 (अ), द्वारा
- द) 25 सितम्बर 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 1600 (अ), द्वारा
- ध) 26 मई 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/11/126538, द्वारा
- न) 11 अगस्त 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/20/134766, द्वारा
- प) 29 जून 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2009, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/11/167759, द्वारा
- फ) 19 नवम्बर 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2009, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-10/21/183853, द्वारा
- ब) 13 अप्रैल 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2010, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2010-11/06/1097, द्वारा
- भ) 6 अप्रैल 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना फा. सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/01/11486, द्वारा
- म) 19 अप्रैल 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2011-12/03/12650, द्वारा
- य) 17 अगस्त 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एल.ए.डी-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/19/26273, द्वारा
- कक) 5 अप्रैल 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2013, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/01/8129, द्वारा
- खख) 27 सितम्बर 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/25/24775, द्वारा
- गग) 23 मई 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा
- घघ) 8 अक्तूबर 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2014, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/15/1671, द्वारा

- डड) 8 सितम्बर 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएल/2015-16/017, द्वारा
- चच) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037, द्वारा [तारीख 29 मार्च, 2017 को अधिसूचित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित]
- छछ) 13 जुलाई 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/005, द्वारा
- जज) 13 मार्च 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/03, द्वारा
- झझ) 30 जुलाई 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/27, द्वारा
- ञञ) 22 मार्च 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान) (संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/30, द्वारा
- टट) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा
- ठठ) 8 मई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान) (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/11, द्वारा
- डड) 30 मार्च, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/14, द्वारा
- ढढ) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/23, द्वारा
- णण) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा
- तत) 23 फरवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल) (संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/73, द्वारा
- थथ) 17 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी./जी.एन./2023/116, द्वारा
- दद) 7 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जी.एन./2023/121, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 24th July, 2023

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (STOCK BROKERS) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2023

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/140.—In exercise of the powers conferred under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) Regulations, 1992, namely: -

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2023.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) Regulations, 1992,
 - (1) in regulation 10A,
 - (a) in the first proviso, after the words “the concerned clearing corporation”, the symbol ‘.’ shall be substituted with the symbol ‘:’;
 - (b) after the first proviso, the following shall be inserted, namely, –

“Provided further that no separate registration shall be required for any person registered with the limited purpose clearing corporation as a participant for participating in the tri-party repo segment for undertaking proprietary trades in corporate bonds.”
 - (c) the existing Explanation shall be renumbered as Explanation 1.
 - (d) after Explanation 1, the following shall be inserted, namely, –

“Explanation 2. – For the purposes of these regulations, “participant” means any person who is an eligible entity as stipulated under the Repurchase Transactions (Repo) (Reserve Bank) Directions, 2018.”

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./299/2023-24]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) Regulations, 1992, were published in the Gazette of India on October 23, 1992 vide S.O. No. 780 (E).
2. The Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) Regulations, 1992, were subsequently amended on:
 - a) November 28, 1995 by the SEBI (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 1995 vide S.O. No. 939 (E).
 - b) January 5, 1998 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No. 13 (E).
 - c) January 21, 1998 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No. 75 (E).
 - d) December 16, 1998 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Third Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No. 1078 (E).
 - e) July 6, 1999 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 1999 vide S.O. No. 541 (E).
 - f) March 14, 2000 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No. 234 (E).
 - g) March 28, 2000 by SEBI (Appeal to Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No. 278 (E).
 - h) August 30, 2000 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No. 787 (E).
 - i) May 29, 2001 by SEBI (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No. 476(E).
 - j) November 15, 2001 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No. 1128 (E).
 - k) February 20, 2002 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No. 220 (E).
 - l) September 27, 2002 by SEBI (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide S.O. No. 1045 (E).
 - m) September 23, 2003 by the SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2003 vide S.O. No. 1095 (E).

- n) November 20, 2003 by the SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2003 vide F. No. SEBI /LAD /20795 /2003.
- o) March 10, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S.O. No. 398(E).
- p) August 1, 2006 by the SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 1235 (E).
- q) September 7, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 1447 (E).
- r) September 25, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Third Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 1600(E).
- s) May 26, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2008/11/126538.
- t) August 11, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub Brokers) (Amendment) Regulations, 2008 vide Notification No. LADNRO/GN/2008/20/134766.
- u) June 29, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2009 vide Notification No. LADNRO/ GN/2009-10/11/167759.
- v) November 19, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2009 vide Notification No. LADNRO/GN/2009-10/21/183853.
- w) April 13, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub Brokers) (Amendment) Regulations, 2010 vide Notification No. LADNRO/GN/2010-11/06/1097.
- x) April 6, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. F. No. LAD –NRO/ GN/ 2011 –12/01/11486.
- y) April 19, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. LAD/NRO/GN/2011-12/03/12650.
- z) August 17, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2011-12/19/26273.
- aa) April 5, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2013 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2013-14/01/8129.
- bb) September 27, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2013 vide Notification No. No. LADNRO/GN/2013-14/25/24775.
- cc) May 23, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.
- dd) October 8, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2014 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/15/1671.
- ee) September 8, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers)(Amendment) Regulations, 2015 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2015-16/017.
- ff) March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2016-17/037 read with March 29, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2016-17/038.
- gg) July 13, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers)(Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2017-18/005.
- hh) March 13, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2018 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/03.
- ii) July 30, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/27.
- jj) March 22, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2019 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/03.

- kk) April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
- ll) May 08, 2020 the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2020 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/011.
- mm) March 30, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) (Amendment) Regulations, 2021 vide Notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/14.
- nn) May 05, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2021 vide Notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/23.
- oo) August 03, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide Notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
- pp) February 23, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) (Amendment) Regulations, 2022 vide Notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/73.
- qq) January 17, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) (Amendment) Regulations, 2023 vide Notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/116.
- rr) February 7, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/121.